Jmi2 6.12.14

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी 4208-III-14

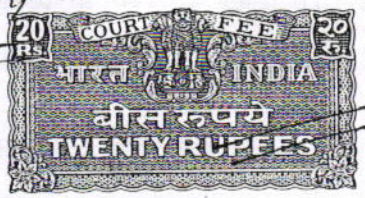

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

832 1.12.14

पुनरीक्षणकर्तागण –

1– पुरसोत्तम सिंह तनय श्री रामजियावन सिंह उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बीरखाम तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

2– कुशल सिंह तनय श्री रामजियावन सिंह उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बीरखाम तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

बनाम्

गैरनिगरानीकर्तागण –

1– गौकर्ण सिंह तनय रामस्वरूप सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बीरखाम तेह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

2– शासन म.प्र.

निगरानी विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही राजस्व निरीक्षक मंडल शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र. दिनांक 06.07.2014 बाबत् पुष्टीकरण सीमांकन प्रतिवेदन बाबत् भूमि ख.कं. 619/1/0.03 ए. स्थित ग्राम बीरखाम ज.नं. 387 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. वर्ष 1959

श्री ... सिंह द्वारा आज दिनांक 01-12-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3884 ... द्वारा आज दिनांक ... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित हैं –

1– यह कि मातहत अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 03.07.2014 एवं पुष्टिकरण आदेश दिनांक 06.07.2014 खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं सहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

2– यह कि मातहत अधिकारी द्वारा इस कानूनी एवं वाक्याति बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया कि खसरा कं. 691/1 रकबा 0.03 ए. का कोई भी नक्शा मौके से तरमीम नहीं था ऐसी सूरत में अनावेदक के स्वामित्व की भूमि को किस लंबाई चौड़ाई के आधार पर किस बंदोबस्ती स्थायी सीमा चिन्ह के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–4208/तीन/14 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश पुरूषोत्तम/गौकर्ण	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री अनिल सिंह उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण राजस्व निरीक्षक शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक–06.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक द्वारा सर्वे कमांक–691/1 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दो पटवारियों की सीमांकन टीम से उक्त आराजी का सीमांकन कराया गया । पटवारी द्वारा अपने सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि स्थल पर कोई स्थयी सीमा चिन्ह मौजूद न होने की स्थिति में मौके पर पटवारी नक्शे से मौके पर खेतों की सीमाओं का मिलान कर बन्दोबस्ती मेड़ को आधार मान कर सीमांकन किया गया । सीमांकन के संबंध में की गयी कार्यवाही के कम में जारी सूचना पत्र दिनांक–3.6.14 का अवलोकन किया गया जिस पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवेदक गण द्वारा सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है । पंचनामा दिनांक–3.6.14 पर पंचान के हस्ताक्षर होकर सरपंच के भी हस्ताक्षर है । प्रकरण के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों से यह स्पष्ट नहीं है कि सीमांकन हेतु किस स्थयी बन्दोबस्ती मेढ़ को सीमाचिन्छ मान कर सीमांकन प्रारंभ किया गया है । वही पंचनामा में भी यह अंकित नहीं है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन की सूचना लेने या उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है । ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है	1

R.4208/III/14
प्रकरण क्रम / ओंकार सिंह

2/4

कि वे प्रकरण में विधिवत पक्षकारान को सूचना देकर समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषको के समक्ष बन्दोबस्ती स्थायी सीमाचिन्ह निर्धारित कर सीमांकन की कार्यवाही पुनः तीन माह में संपादित करें । पुनः सीमांकन की कार्यवाही होने तक पूर्व सीमांकन का पुष्टि आदेश दिनांक–6.7.14 स्थगित किया जाता है । पुनः सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होते ही पूर्व सीमांकन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा । आवेदक गण को भी आदेशित किया जाता है कि वे आदेश की संसूचना के एक माह के अंदर स्वयं तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर समय सीमा में सीमांकन की कार्यवाही संपादित करने में संबंधित न्यायालय का सहयोग करें । यदि निर्धारित समयावधि में आवेदक गण तहसील न्यायालय में उक्त कार्यवाही संपादित कराने हेतु उपस्थित नहीं होते है तो यह माना जावेगा कि उन्हें सीमांकन कार्यवाही कराने में कोई रूचि नहीं हैं । पूर्व सीमांकन आदेश यथावत माना जावेगा ।

उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा. रि. हो ।

सदस्य 1-12-15